संख्या:72/2020/1732 ई-2/तेरह-2020-74/2016टी.सी.

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2020

विषय: मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में 130 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-22/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस, दिनांक 30.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को 130 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यदिवस के आधार पर 455 लाख ली. अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित आसवनी स्थापना की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2019 की शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in